न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, **RAS**

प्रकरण सं. 81/2018 प्रार्थना पत्र

1. किशनलाल पिता रतनलाल गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी रावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. देउबाई पुत्री रतनलाल गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी रावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. मु. भुरी बाई पत्नी रतनलाल गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी रावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. हीरा पिता परथा गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी रावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. गोपी पिता परथा गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी रावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
6. उंकार पिता परथा गुर्जर, आयु वयसक, निवासी रावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
7. मोती पिता परथा गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी रावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
8. खेमा पिता परथा गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी रावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।

— प्रार्थीगण

//बनाम//

1. उंकार पिता नारू गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी रावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. कंचन बाई पत्नी उंकार गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी रावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. सोहनी बाई बेवा नारू, आयु वयस्क, निवासी रावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।

— विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि.
श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित

निर्णय दिनांक 08.07.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा रावलिया की खाता संख्या 25 की आराजी नं. 494 रकबा 0.1000 हेक्टेयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की चली आ रही है। इस भूमि के पडोस पूर्व में नीमच निम्बाहेड़ा रोड़ फोर लेन सडक, पश्चिम में हीरालाल की जमीन, उततर में विपक्षीगण की आराजीयात तथा दक्षिण में नाथु पिता कालु गुर्जर की जमीन स्थित है। इस प्रकार विपक्षीगण प्रार्थीगण की स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि के उत्तरी दिशा के पडोसी हैं। प्रार्थीगण की भूमि से विपक्षीगण का कोई ताल्लुक सम्बन्ध सरोकार नहीं है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की स्वामित्व आधिपत्य की भूमि पर करीब 6 फीट चौडाई उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम पुरी लम्बाई पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को उनकी शांतिपूर्ण स्वामित्व की आराजीयात पर जबरन नाजायज कब्जा करने से मना किया तो विपक्षीगण किसी भी सुरत में मानने को तैयार नहीं है तथा विपक्षी नं. 1 मौके पर धमकियां दे रहा है ओर उल्टे सीधे केस में जेल में सडवाने की धमकीयां दे रहा है। समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहा है इसलिए मजबुरन प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रार्थी विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार हैं जिन्हें अपने खाते की भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा विपक्षीगण को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में अधिवक्ता प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 ग्राम रावलिया की खाता संख्या 25 की प्रति प्रस्तुत की है। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी अनुसार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निर्णय मुख्यतः 3 बिन्दुओं के आधार पर किया जाता है, प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति। वर्तमान प्रकरण में भी यदि देखा जाए तो प्रार्थीगण विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार हैं। रेकार्डेड खातेदार को अपने खातेदारी की भूमि पर हर प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। रेकार्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण करने या निर्माण करने अथवा प्रार्थीगण को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बेदखल करने की स्थिति में अधिकतम क्षति प्रार्थीगण को ही होगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विपक्षीगण मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक विवादित वाके मौजा रावलिया की खाता संख्या 25 की आराजी नं. 494 रकबा 0.1000 हेक्टेयर भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत न तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें। विवादित भूमि में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें ना करावें, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें ना किसी अन्य से करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।हो।

यह आज तारीख 08.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.20 18:10:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: